2025:CGHC:53034

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

निर्णय सुरक्षित रखने का दिनाँक 02.09.2025

निर्णय पारित करने का दिनाँक 30.10.2025

दाण्डिक अपील क्रमांक 1177/2024

संदीप कुमार,पिता सुलेन्द्र सिंह, आयु लगभग 20 वर्ष, निवासी–ग्राम नवापारा कला, थाना प्रेमनगर, जिला सूरजपुर (छत्तीसगढ़)

... अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः थाना प्रभारी , थाना प्रेमनगर, जिला सूरजपुर (छत्तीसगढ़)

... प्रत्यर्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से : श्री ईश्वर जायसवाल, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री प्रांजल शुक्ला, पैनल अधिवक्ता

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ प्रतीम साहू

सीएवी निर्णय

1. यह दाण्डिक अपील विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय, सूरजपुर, जिला–सूरजपुर द्वारा विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 30/2020 में दिनांक 29.01.2024 को पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश के आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को निम्नानुसार दोषसिद्ध एवं दंडित किया गया है:

दोषसिद्धि	दंडादेश
भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन	10 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹500/– अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में 4 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।
भारतीय दंड संहिता की धारा 365 के अधीन	5 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹500/– अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में 4 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।

दोषसिद्धि	दंडादेश
पोक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन	10 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹500/– अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में 4 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।

1. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में यह है कि पीड़िता के पिता ने संबंधित थाने में एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि दिनाँक 11.03.2020 की सुबह उन्होंने अपनी पुत्री को घर से लापता पाया। यह उल्लेख किया गया है कि रात लगभग 3:00 बजे वह सोकर उठी और घर से बाहर चली गई। जब उन्होंने आसपास के स्थानों पर उसकी तलाश की, तो उन्हें खुर्शीद के पुत्र शाहनवाज ने सूचित किया कि पीड़िता अपीलार्थी के साथ बातचीत करती थी। उक्त सूचना मिलने के बाद, उन्हें संदेह हुआ कि वह अपीलार्थी के साथ हो सकती है और तत्पश्चात वह अजीम, रयाज, उस्मान, ग्राम सरपंच एवं अन्य लोगों के साथ अपीलार्थी के घर गए और उससे पूछताछ की, जिस पर उसने बताया कि पीड़िता उसके घर में ही है और उसे उनके सामने ले आया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि पीड़िता ने उन्हें और वहां उपस्थित अन्य व्यक्तियों को सूचित किया कि अपीलार्थी ने उसके साथ लैंगिक संभोग किया। लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी–1) के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी–2) पंजीबद्ध की गई, पीड़िता का कथन दर्ज किया गया और अपीलार्थी को थाना प्रेमनगर, जिला सूरजपुर द्वारा पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 16/2020 के संबंध में गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी भारतीय दंड संहिता (संक्षिप्त में भा.द.सं.) की धारा 376 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सो अधिनियम,2012) की धारा 3 व 4 के अधीन कथित अपराध के लिए की गई थी। विवेचना पूर्ण होने के उपरांत, पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 365, 506, 376 और पोक्सो अधिनियम की धारा 3 व 4 के अधीन कथित अपराध के लिए अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोग– पत्र में उपलब्ध सामग्री का मूल्यांकन करते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, 365, 506 और पोक्सो अधिनियम की धारा 3 व 4 के अधीन आरोप विरचित किए। विचारण के दौरान, अभियोजन ने अ.सा.–1 पीड़िता के पिता, अ.सा.–2 पीड़िता, अ.सा.–3 डॉ. नंदिनी कंवर, जिन्होंने पीड़िता का परीक्षण किया, अ.सा.–4 जगतपाल पेंटो, सहायक शिक्षक, अ.सा.–5 डॉ. नीरज कुमार पैकरा, जिन्होंने अपीलार्थी का परीक्षण किया, अ.सा.–6 सहायक उप–निरीक्षक अंजू सिंह और अ.सा.–7 ओ.पी. कुजूर, निरीक्षक(विवेचना अधिकारी) का परीक्षण कराया और कुल 24 दस्तावेज प्रदर्शित किए। अपीलार्थी/अभियुक्त का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दर्ज किया गया। अभियोजन द्वारा अभिलेख पर लाए गए दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों तथा धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन दर्ज अभियुक्त के कथन का मूल्यांकन करने के पश्चात, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, 365 और पोक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे इस निर्णय के कण्डिका–1 में उल्लेखित अवधि के दंड से दंडित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता और 2012 के अधिनियम की उपरोक्त धाराओं के अधीन दोषसिद्ध करने में त्रुटि की है। उन्होंने तर्क किया कि अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन किसी व्यक्ति/अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने हेतु अभियोजन को यह तथ्य साबित करना होगा कि घटना के दिन पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की थी। आयु का प्रमाण युक्तियुक्त संदेह से परे होना चाहिए, जिसमें अभियोजन पूर्णतया असफल रहा है। उन्होंने आगे तर्क किया कि अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि पीड़िता सम्मति देने वाली पक्षकार थी, क्योंकि उसने रात लगभग 3:00 बजे अपना घर छोड़ा और अपीलार्थी का साथ दिया। घटना के दिन, पीड़िता के साथ उसके माता, पिता, बड़े भाई और उनकी पत्नी भी उसी घर में रह रहे थे, लेकिन उसने परिवार के किसी अन्य सदस्य को सूचित नहीं किया। उन दोनों के मध्य प्रेम प्रसंग था। यद्यपि, केवल परिवार के सदस्यों के दबाव के कारण, अपीलार्थी के विरुद्ध झूठे और निराधार आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि यद्यपि पीड़िता के साथ बलपूर्वक लैंगिक संभोग करने का आरोप लगाया गया था, किंतु डॉ. नंदिनी कंवर (अ.सा.–4), जिन्होंने पीड़िता का परीक्षण किया, को शरीर पर कोई बाह्य या आंतरिक चोट नहीं मिली।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का विरोध किया और तर्क किया कि अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि पीड़िता ने अपीलार्थी के विरुद्ध विशिष्ट आरोप लगाए हैं कि उसने उसे कई बार धमकाया और जान से मारने की धमकी के डर से वह अपने घर से बाहर गई थी, जहाँ अपीलार्थी ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ लैंगिक संभोग किया। अभियोजन ने पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम साबित करने के लिए शाला पंजी प्रस्तुत किया है और इसे विद्यालय के शिक्षक (अ.सा.–4) द्वारा साबित कराया है। शाला पंजी को प्रदर्श पी–9 बी के रूप में अंकित किया गया है, जिसमें पीड़िता की जन्म तिथि 20.05.2003 दर्ज है। घटना की तिथि 11.03.2020 को दृष्टिगत रखते हुए, यह स्पष्ट है कि घटना के दिन पीड़िता की आयु 17 वर्ष से कम थी, अर्थात 18 वर्ष से कम। अतः, अपीलार्थी ने वह अपराध कारित किया है जिसके लिए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उसे दोषसिद्ध एवं दंडित किया गया है। दोषसिद्धि का निर्णय अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों के उचित विवेचना पर आधारित है, इसलिए इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तगण को सुना है और विचारण न्यायालय के अभिलेख का भी परिशीलन किया है।

6. प्रकरण के उन तथ्यों में, जहाँ अपीलार्थी को 2012 के अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन अपराध के लिए भी दोषसिद्ध किया गया है, मैं सर्वप्रथम इस बात पर विचार करना उचित समझता हूँ कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष अभिलिखित करना न्यायोचित था कि अभियोजन ने घटना के दिन अभियोक्त्री/पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम होने के तथ्य को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर

दिया है। उसके पिता द्वारा दर्ज कराई गई लिखित रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि उसकी पुत्री अवयस्क थी। शिकायत (प्रदर्श पी–1) की सामग्री को विचार में रखते हुए, पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी–2) पंजीबद्ध करते समय भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के साथ–साथ 2012 के अधिनियम की धारा 3 व 4 के अधीन भी अपराध जोड़ा। 2012 के अधिनियम की धारा 3 "लैंगिक प्रवेशन हमले" की बात करती है। धारा 4 लैंगिक प्रवेशन हमले के लिए दंड का प्रावधान करती है। अभियोक्त्री की आयु साबित करने हेतु, अभियोजन ने शाला पंजी प्रदर्श पी–9 बी एकत्र किया और सहायक शिक्षक जगतपाल (अ.सा.–4) का परीक्षण किया। शाला पंजी (प्रदर्श पी–9 बी) के सूक्ष्म अवलोकन से ज्ञात होता है कि इसमें छात्र का नाम, पिता/अभिभावक का नाम और पता, जाति, पिता का व्यवसाय, बालक की जन्म तिथि, प्रवेश की तिथि, वह कक्षा जिसमें छात्र/बालक को प्रवेश दिया गया था, विद्यालय छोड़ने की तिथि और वह कक्षा जिसमें छात्र ने विद्यालय छोड़ा, अंकित है। शाला पंजी में पीड़िता की जन्म तिथि 20.05.2003 और प्रवेश की तिथि 19.06.2009 अंकित है। शाला पंजी में इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि उल्लेखित तिथि पर विद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्र की जन्म तिथि किसने लिखवाई थी।

7. पीड़िता के पिता का परीक्षण अ.सा.1 के रूप में किया गया है। अपने कथन में उन्होंने बताया कि उनके तीन संतानें हैं, जिनमें पीड़िता सबसे छोटी है। उन्होंने पीड़िता से बड़े दो संतानों का विवाह एक साथ लगभग दो वर्ष पूर्व संपन्न किया था। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके बड़े पुत्र की आयु लगभग 25–26 वर्ष थी। प्रत्येक संतानों की आयु के मध्य 2–3 वर्ष का अंतर है। वह अपनी विवाहित पुत्री की आयु बताने में सक्षम नहीं थे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वह अपने संतानों की जन्म तिथि बताने की स्थिति में नहीं हैं। अपने प्रतिपरीक्षण के कण्डिका–5 में, यद्यपि इस साक्षी ने कथन किया कि पीड़िता को प्रवेश के लिए विद्यालय तब ले जाया गया था जब उसने 6 वर्ष पूर्ण कर लिए थे, उसी कण्डिका में उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि प्रवेश के समय उसने अपनी संतान (पीड़िता) की जन्म तिथि के बारे में जानकारी नहीं दी थी।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8.जगतपाल पेंटो (अ.सा.–4) सहायक शिक्षक हैं, जिन्होंने अपने साक्ष्य में बताया कि विवेचना अधिकारी की माँग पर उन्होंने दो साक्षियों, मुख्तार और शाहनवाज के सामने शाला पंजी की प्रति सौंपी थी। पीड़िता की जन्म तिथि सरल क्रमांक 361 पर दिनाँक 20.05.2003 अंकित है। अपने प्रतिपरीक्षण के कण्डिका–3 में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने पीड़िता का विद्यालय में प्रवेश नहीं कराया था और विद्यालय के अभिलेख में पीड़िता का कोई जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है।

9. अभिलेख में उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्यों से, पीड़िता और उसके पिता के मौखिक परिसाक्ष्य के अतिरिक्त कि घटना के दिन पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की थी, ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है जो यह साबित कर सके कि घटना के दिन पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम थी। यह सत्य है कि जहाँ किसी अवयस्क की आयु साबित की जानी हो, वहाँ किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण)

अधिनियम, 2015 (जिसे संक्षेप में "2015 का अधिनियम" कहा गया है) की धारा 94 (2) का आश्रय लिया जा सकता है, जो निम्नानुसार है:

> **"94. आयु के विषय में उपधारणा और उसका अवधारण–**
>
> (1) X X X
>
> (2) यदि समिति या बोर्ड के पास इस संबंध में संदेह होने के युक्तियुक्त आधार है कि क्या उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति बालक है या नहीं, तो, यथास्थिति, समिति या बोर्ड, निम्नलिखित साक्ष्य अभिप्राप्त करके आयु अवधारण की प्रक्रिया का जिम्मा लेगा–
>
> (i) विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो; और उसके अभाव में;
>
> (ii) निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाणपत्र:
>
> (iii) और केवल उपरोक्त (i) और (ii) के अभाव में, आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर की गई अस्थि जांच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जांच के आधार पर किया जाएगा:
>
> परंतु समिति या बोर्ड के आदेश पर की गई ऐसी आयु अवधारण जांच ऐसे आदेश की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर पूरी की जाएगी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. 2015 के अधिनियम के अधीन, किशोर की आयु साबित करने के लिए दस्तावेजों को उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रदान किया गया है, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उपरोक्त दस्तावेजों के अभाव में, निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाणपत्र पर विचार किया जाना चाहिए और उसके पश्चात ही, ऊपर वर्णित दस्तावेजों की अनुपस्थिति में, 18 वर्ष से कम आयु के पीड़ित/बालक की आयु का अवधारण अस्थि जांच के माध्यम से किया जाना चाहिए।

11. वर्तमान प्रकरण में, पीड़िता को अस्थि जांच के लिए नहीं भेजा गया था। पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम साबित करने के लिए अभियोजन द्वारा अभिलेख पर लाया गया एकमात्र साक्ष्य विद्यालय से प्राप्त और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत शाला पंजी है।

12. माता–पिता/अभिभावक, पीड़ित/किशोर की जन्म तिथि के बारे में जानकारी देने वाले सबसे उपयुक्त व्यक्ति हो सकते हैं। अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य, अ.सा.1 पीड़िता के पिता और प्रदर्श पी–9 बी शाला पंजी के अनुसार, यह प्रतीत नहीं हो रहा है कि शाला पंजी में दर्ज जन्म तिथि की जानकारी पीड़िता/छात्रा के माता–पिता द्वारा दी गई थी जिसका प्रवेश शाला पंजी (प्रदर्श पी–9 बी) में की गई प्रविष्टि के अनुसार हुआ था। पीड़िता के पिता अ.सा.1 ने कथन किया कि वह पीड़िता को प्रवेश के लिए विद्यालय ले गए थे, यद्यपि, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह भी कथन किया कि उन्होंने पीड़िता की आयु के बारे में जानकारी नहीं दी थी। सहायक शिक्षक (अ.सा.4), जिन्होंने शाला पंजी (प्रदर्श पी–9 बी) की प्रति और उसमें की गई प्रविष्टि को साबित किया, ने कथन किया कि उन्होंने पीड़िता का विद्यालय में प्रवेश नहीं कराया था, बल्कि किसी अन्य शिक्षक/प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका द्वारा प्रवेश कराया गया था।

13. अभिलेख पर उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि पीड़िता के पिता को अपनी पुत्री (पीड़िता) की सही जन्म तिथि की जानकारी नहीं थी। उन्होंने अपनी संतान (पीड़िता) के प्रवेश के समय अपनी पुत्री की जन्म तिथि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों में, यद्यपि साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अधीन शाला पंजी का साक्ष्यिक मूल्य है, किंतु विद्यालय के अभिलेख (प्रदर्श पी– 9 बी) में अंकित जन्मतिथि किस आधार पर दर्ज की गई है, साबित नहीं है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **रविंदर सिंह गोरखी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य** (2006) 5 एससीसी 584 के प्रकरण में, **बिरद मल सिंघवी विरुद्ध आनंद पुरोहित** (1988 सप्प.एससीसी 604) के अपने पूर्ववर्ती निर्णय पर विचार करते हुए, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

> **"26.** बिरद मल सिंघवी विरुद्ध आनंद पुरोहित {1988 सप्प.एससीसी 604} के प्रकरण में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है: (एससीसी पृष्ठ 619, कण्डिका 15)
>
> "धारा 35 के अधीन किसी दस्तावेज़ को स्वीकार्य बनाने के लिए तीन शर्तों का संतुष्ट होना आवश्यक है: प्रथम, जिस प्रविष्टि का अवलंब लिया गया है, वह किसी सार्वजनिक या अन्य आधिकारिक किताब, पंजी या अभिलेख में होनी चाहिए; द्वितीय, यह एक ऐसी प्रविष्टि होनी चाहिए जो किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य का कथन करती हो; और तृतीय, इसे किसी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में, अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा विशेष रूप से सौंपे गए कर्तव्य के अनुपालन में बनाया गया होना चाहिए। विद्यालय पंजी में दर्ज जन्म तिथि से संबंधित प्रविष्टि अधिनियम की धारा 35 के अधीन सुसंगत और स्वीकार्य है, परंतु उस सामग्री की अनुपस्थिति में, जिसके आधार पर वह आयु दर्ज की गई थी,

विद्यालय पंजी में किसी व्यक्ति की आयु के संबंध में की गई प्रविष्टि का उस व्यक्ति की आयु साबित करने हेतु अधिक साक्ष्यिक मूल्य नहीं होता है।

(बल दिया गया)"

15. **अलामेलु व एक अन्य विरुद्ध राज्य प्रतिनिधित्व द्वारा: पुलिस निरीक्षक** (2011) 2 एससीसी 385 के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि यद्यपि प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर के अधीन शासकीय विद्यालय द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाण पत्र साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 35 के अधीन साक्ष्य में स्वीकार्य है, किंतु उस सामग्री के अभाव में, जिसके आधार पर वह आयु दर्ज की गई थी, अभियोक्त्री की आयु साबित करने के लिए ऐसे दस्तावेज का साक्ष्यिक मूल्य अधिक नहीं है।

16. **पी. युवप्रकाश विरुद्ध राज्य प्रतिनिधित्व द्वारा: पुलिस निरीक्षक** (2023 एससीसी आनलाइन एससी 846) के प्रकरण में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"**14.** किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94(2)(iii) स्पष्ट रूप से यह इंगित करती है कि विद्यालय से प्राप्त जन्म तिथि प्रमाण पत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इनकी अनुपस्थिति में, नगर निगम या नगर पालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र पर विचार किया जाएगा। इन दस्तावेजों के अभाव में ही, अंततः किसी संबंधित प्राधिकारी अर्थात् समिति, बोर्ड या न्यायालय के आदेश पर आयोजित अस्थि जांच या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु अवधारण जांच द्वारा आयु अवधारित की जानी चाहिए। वर्तमान प्रकरण में, यह स्वीकार्य तथ्य है कि केवल एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर विचार किया गया था, न कि जन्म तिथि प्रमाण पत्र या मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र पर। प्रदर्श सी–1, जो कि शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र था, उसमें पीड़िता की जन्म तिथि 11.07.1997 दर्शाई गई थी। महत्वपूर्ण रूप से, यह स्थानांतरण प्रमाण पत्र अभियोजन द्वारा नहीं, बल्कि न्यायालय द्वारा आहूत साक्षी अर्थात् न्या.सा.–1 द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह स्थापित विधिक सिद्धांत है कि सबूत का भार सदैव अभियोजन पर होता है कि वह अपने आरोपों को साबित करे; अतः, अभियोजन ऐसे दस्तावेज़ का आश्रय नहीं ले सकता था जिसका उसने कभी अवलंब ही नहीं लिया था। इसके अतिरिक्त, ब.सा.–3 संबंधित राजस्व अधिकारी (उप तहसीलदार) ने शपथ पर यह कथन किया था कि वर्ष 1997 के जन्म एवं मृत्यु से संबंधित अभिलेख गुम हो गए थे। चूंकि यह स्थानांतरण प्रमाण पत्र धारा 94(2)(i) में वर्णित किसी भी श्रेणी के दस्तावेजों की परिभाषा के अनुरूप नहीं

था, क्योंकि यह केवल एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र था, अतः प्रदर्श सी–1 पर यह मानने के लिए अवलंब नहीं लिया जा सकता था कि अपराध के समय 'एम' 18 वर्ष से कम आयु की थी।

15. एक हालिया निर्णय में, ऋषिपाल सिंह सोलंकी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में, इस न्यायालय ने उन प्रकरणों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को रेखांकित किया है जहाँ आयु का अवधारण आवश्यक है। न्यायालय तत्कालीन किशोर न्याय नियमावली के नियम 12 पर विचार कर रहा था जो कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94 के समान विषयक है, एवं निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

> "20. किशोर न्याय नियम, 2007 का नियम 12 आयु अवधारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन करता है। विधि से संघर्षरत व्यक्ति की किशोरता का निर्णय प्रथम दृष्टया शारीरिक उपस्थिति या उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाना था। किंतु न्यायालय या किशोर न्याय बोर्ड द्वारा आयु अवधारण की जांच, निम्नलिखित साक्ष्य प्राप्त करके की जानी थी: (i) मैट्रिकुलेश या समतुल्य प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; और उसकी अनुपस्थिति में; (ii) सर्वप्रथम प्रवेश लिए गए विद्यालय (प्ले स्कूल को छोड़कर) से प्राप्त जन्म तिथि प्रमाण पत्र; और उसकी अनुपस्थिति में; (iii) नगर निगम, नगर पालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र। केवल उपर्युक्त (i), (ii) और (iii) की अनुपस्थिति में ही, किशोर या बालक की आयु घोषित करने के लिए विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सीय अभिमत मांगी जा सकती थी। इसमें यह प्रावधान भी किया गया था कि आयु अवधारण करते समय, एक वर्ष के अंतर के भीतर आयु को न्यूनतम सीमा पर मानकर बालक या किशोर को इसका लाभ दिया जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 94(2) में वर्णित विभिन्न विकल्पों के विषय में व्यक्त करते हुए, इस न्यायालय ने संजीव कुमार गुप्ता विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में यह अभिनिर्धारित किया कि:

> धारा 94(2) का खंड (i), विद्यालय से प्राप्त जन्म तिथि प्रमाण पत्र और संबंधित परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र को एक ही श्रेणी (अर्थात् उपर्युक्त (i)) में रखता है। इनकी अनुपस्थिति में, श्रेणी (ii) नगर निगम, नगर पालिका प्राधिकरण या पंचायत से जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रावधान करती है। श्रेणी (i) और (ii) दोनों की अनुपस्थिति में ही चिकित्सा विश्लेषण के माध्यम से आयु अवधारण का प्रावधान है। धारा 94(2)(क)(i)

उन प्रावधानों की तुलना में एक महत्वपूर्ण बदलाव दर्शाती है जो 2000 के अधिनियम के अधीन बनाए गए 2007 के नियमों के नियम 12(3)(क) में निहित थे। नियम 12(3)(क)(i) के अधीन मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र को वरीयता दी गई थी और केवल उस प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में ही सर्वप्रथम प्रवेश लिए गए विद्यालय से जन्म तिथि प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता था। (किंतु) धारा 94(2)(i) में विद्यालय के जन्म तिथि प्रमाण पत्र और मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र, दोनों को एक ही श्रेणी में रखा गया है।"

17. अबूज़र हुसैन उर्फ गुलाम हुसैन विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य के प्रकरण में, इस न्यायालय की एक तीन–न्यायाधीशों की पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि किसी व्यक्ति के किशोर होने (या निर्धारित आयु से कम होने) को साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है जो इसका दावा कर रहा है। इसके अतिरिक्त, उस निर्णय में, न्यायालय ने उन दस्तावेजों के पदानुक्रम का भी उल्लेख किया जिन्हें वरीयता के क्रम में स्वीकार किया जाएगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. पीड़िता को अवयस्क अवधारित करने हेतु, यह साबित करने का भार कि किशोरी की आयु 18 वर्ष से कम थी, अभियोजन पर था। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभियोजन ने यह प्रकरण बनाया था कि घटना के दिन पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की थी और उसने अपीलार्थी के विरुद्ध 2012 के अधिनियम की धारा 3 व 4 के अधीन भी अभियोजन चलाया है।

18. **अबूजर हुसैन उर्फ गुलाम हुसैन विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य** [2012] 9 एससीआर 224] के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि किसी व्यक्ति के किशोर (निर्धारित आयु से कम) होने को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो इसका दावा करता है। अपीलार्थी को पूर्ववर्ती कण्डिका में उल्लेखित अनुसार दोषसिद्ध एवं दण्डित किया गया है, और इसलिए अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने हेतु आवश्यक प्रमाण की प्रकृति युक्तियुक्त संदेह से परे होनी चाहिए। अतः घटना के दिन पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम थी, यह अभियोजन द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया जाना आवश्यक है। अभियोजन, जन्म तिथि अंकित शाला पंजी प्रस्तुत करने के अतिरिक्त, यह साबित करने में असफल रहा कि वह जन्म तिथि किस आधार पर दर्ज की गई थी। पीड़िता के पिता ने कथन दिया था कि उन्होंने अपनी पुत्री के प्रवेश के समय उसकी जन्म तिथि के बारे में जानकारी नहीं दी थी। प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों में, इस न्यायालय के अभिमत में, अभियोजन स्वीकार्य साक्ष्यों द्वारा पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम है साबित करने में असफल रहा है।

19. अब मैं इस बात पर विचार करूँगा कि क्या पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक लैंगिक संभोग किया गया था। पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी–1) से ज्ञात

होता है कि तीसरे व्यक्ति शाहनवाज पिता खुर्शीद द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पीड़िता और अपीलार्थी के मध्य लंबे समय से बातचीत चल रही थी। उनके बीच मोबाइल फोन पर भी बातचीत होती थी। लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी–1) में उल्लेखित उपरोक्त तथ्यों के आलोक में कि शाहनवाज (जो दोनों में से किसी का परिवारिक सदस्य नहीं है) द्वारा उनके बीच बातचीत होने की जानकारी दी गई यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी और पीड़िता एक–दूसरे से परिचित थे। पीड़िता अ.सा.2 ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अपीलार्थी ने उसके पिता के मोबाइल फोन पर कॉल किया था। अभियोजन का यह मामला नहीं है कि पीड़िता मोबाइल फोन का उपयोग कर रही थी, बल्कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार यह स्पष्ट है कि मोबाइल फोन पीड़िता के पिता का था और अपीलार्थी ने रात लगभग 3:00 बजे उस मोबाइल फोन पर कॉल किया जिसे उसने उठाया, जिस पर अपीलार्थी ने उसे घर से बाहर आने को कहा और इनकार करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। अभियोजन ने इस तथ्य को साबित नहीं किया है कि अपीलार्थी ने रात में पीड़िता के पिता के मोबाइल फोन पर कॉल किया था।

20. स्वीकार्य रूप से, अभियोजन के प्रकरण के अनुसार पीड़िता अपने पिता के घर में अपने पिता, माता, भाई और उसकी पत्नी के साथ सो रही थी। उसने स्वयं अपने घर का दरवाजा खोला और अपने परिवार के किसी भी सदस्य को सूचित किए बिना रात लगभग 3:00 बजे घर से बाहर आ गई और अपीलार्थी के साथ चली गई। यदि यह अपीलार्थी द्वारा पीड़िता को दी गई धमकी का मामला होता, वह भी उसके पिता के मोबाइल फोन पर, तो सामान्य परिस्थिति में उसने अपने परिवार के सदस्यों को सूचित किया होता। अभिलेख में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। वह अपने घर से अपीलार्थी के साथ लगभग 1 कि.मी. दूर अपीलार्थी के घर गई और वहां वह अगले दिन सुबह 11–12 बजे तक रही।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. डॉ. नंदिनी कंवर, जिन्होंने पीड़िता का परीक्षण किया था, उनका परीक्षण अ.सा.3 के रूप में किया गया है, जिन्होंने पीड़िता की एमएलसी रिपोर्ट को प्रदर्श पी–13 के रूप में साबित किया। एमएलसी रिपोर्ट में उन्होंने यह अभिमत दिया कि संघर्ष का कोई भी निशान मौजूद नहीं था। उपरोक्त साक्ष्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़िता अ.सा.2 का यह साक्ष्य कि उसने अपीलार्थी द्वारा लैंगिक संभोग के कृत्य का विरोध किया, उसे नाखूनों से खरोंचा और लात भी मारी पीड़िता के साक्ष्य विश्वास प्रेरित नहीं करते। चिकित्सक ने अपने न्यायालयीन कथन में यह अभिमत दिया है कि उन्हें पीड़िता/अभियोक्त्री के साथ बलपूर्वक लैंगिक संभोग का कोई भी निशान नहीं मिला।

22. चिकित्सक के उपरोक्त उपलब्ध साक्ष्यों, एमएलसी प्रदर्श पी–13 और एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी–24 के अनुसार, यद्यपि पीड़िता की वेजाइनल स्लाइड और उसकी पैंटी पर वीर्य की उपस्थिति सकारात्मक पाई गई है, तथापि, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि अपीलार्थी ने पीड़िता के साथ बलपूर्वक लैंगिक संभोग किया था।

23. यह निर्विवाद है कि बलात्संग के अपराध के प्रकरण में, दोषसिद्धि केवल पीड़िता के एकल परिसाक्ष्य के आधार पर भी यथावत रखा जा सकता है, यद्यपि, इसमें एक शर्त यह है कि पीड़िता का परिसाक्ष्य

विश्वास प्रेरित करें। भले ही अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य की संपुष्टि अनिवार्य नहीं है, किंतु यदि उसका कथन विश्वसनीय नहीं है, तो अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। यह अभियोजन का दायित्व है कि वह अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करे, जिसमें अभियोजन असफल रहा है।

24. उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में, इस न्यायालय के अभिमत में, अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि घटना के दिन पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम थी और अपीलार्थी ने पीड़िता के साथ बलपूर्वक लैंगिक संभोग किया था। चूंकि ये तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं हो पाए हैं, इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय विधि की दृष्टि में यथावत रखे जाने योग्य नहीं है एवं यह अपास्त किए जाने योग्य है।

25. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है और दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 365, 376 और 2012 के अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। सूचित किया गया है कि वह जेल में निरुद्ध है।। यदि किसी अन्य दाण्डिक प्रकरण में उसकी आवश्यकता न हो, तो उसे अविलंब रिहा किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. इस निर्णय की प्रतिलिपि सहित विचारण न्यायालय का अभिलेख अनुपालन और आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित विचारण न्यायालय को अविलंब प्रतिप्रेषित की जाए।

सही/–

(पार्थ प्रतीम साहू)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**